भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, शंकरपुर (भटगांव-II) एवं एक्सटेंशन कोल ब्लाक, बिश्रामपुर कोल फिल्ड, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित माईन क्षमता- 2.0 एमटीपीए ओपन कास्ट एवं 0.20 एमटीपीए अण्डरग्राउण्ड (लीज एरिया-3005.12 हेक्टेयर) के लिये दिनांक 20/01/2012, दिन-शुक्रवार, स्थान- अ.जा.क. शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, सोनगरा, तह.-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण:-

---

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, शंकरपुर (भटगांव-II) एवं एक्सटेंशन कोल ब्लाक, बिश्रामपुर कोल फिल्ड, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित माईन क्षमता- 2.0 एमटीपीए ओपन कास्ट एवं 0.20 एमटीपीए अण्डरग्राउण्ड (लीज एरिया-3005.12 हेक्टेयर) के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् अपर कलेक्टर, सूरजपुर की अध्यक्षता एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर की उपस्थिति में **दिनांक 20/01/2012, दिन-शुक्रवार, स्थान- अ.जा.क. शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, सोनगरा, तह.-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर** में **प्रातः 11:00 बजे** लोक सुनवाई प्रारम्भ हुई ।

सर्वप्रथम **श्री पी.एस. यादव महाप्रबंधक (खान)** मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, शंकरपुर (भटगांव- II) एवं एक्सटेंशन कोल ब्लाक, बिश्रामपुर कोल फिल्ड, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) द्वारा परियोजना और पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट (ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट) के संक्षिप्त सार का प्रस्तुतीकरण उपस्थित जन समुदाय के समक्ष करते हुए जन सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, शंकरपुर (भटगांव- II) एवं एक्सटेंशन कोल ब्लाक, बिश्रामपुर कोल फिल्ड, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित माईन क्षमता- 2.0 एमटीपीए ओपन कास्ट एवं 0.20 एमटीपीए अण्डरग्राउण्ड (लीज एरिया-3005.12 हेक्टेयर) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् आयोजित लोक सुनवाई में लोक सुनवाई प्रकाशन तिथि से दिनांक 19/01/2012 तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर में लिखित में कोई सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। दिनांक 20/01/2012 को आयोजित लोक सुनवाई के दौरान लिखित में 06 सुझाव/विचार/ टीका-टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया जिसमें

से 16 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक में सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई। मौखिक रूप से अभिव्यक्त सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान लगभग 500 लोग उपस्थित हुए जिनमें से कुल **296** व्यक्तियों द्वारा उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर किये गये।

लोक सुनवाई में मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं।

1. पर्यावरण परामर्शदाता द्वारा दी जानकारी, ग्रामीणों को समझ में नहीं आ रही है। पानी की क्या व्यवस्था होगी, कोयला उड़ने से रोकने की क्या व्यवस्था होगी। बोझा गांव एवं आसपास के गावों को भी अधिग्रहित की जाय, प्रदूषण रोकने की व्यवस्था हमें समझ नहीं आया, कितना पेड़ कटेगा, ब्लास्टिंग से क्या कंपन नहीं होगा। ग्रामसभा में की गई घोषणा में और आज बतायी गई नौकरी के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करें। मायापुर के समान ही अधिग्रहित करें।
2. ई.आई.ए. रिपोर्ट की संक्षिप्त जानकारी ग्रामीणों को दी जाये, साधारण भाषा में लोगों को समझ आने वाली भाषा में दी जाये क्योंकि महान खदान से होने वाली परेशानी से लोगों का सामना हो रहा है, लोग मूलभूत अवश्यकताओं से वंचित न रहे।
3. खदान के खुलने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा साथ ही कुछ चिंताएं है जो इस प्रकार है– खदान के खुलने से यातायात बढेगा और दुर्घटना संभावित है। अतः स्कूल की वाउण्डरीवाल बनायी जाये, जल स्तर गिरेगा, जल संरक्षण की स्थिति स्पष्ट करें, वायु और ध्वनि स्तर बढेगा, कम्पनी ने रोकथाम हेतु क्या किया है। वनो के संरक्षण हेतु क्या प्रस्ताव है। वन क्षेत्र को प्रदूषण से बचाने क्या प्रस्ताव है ।
4. सोनगरा– महान–2 रास्ता की स्थिति अत्यंत खराब होने के कारण भारी वाहनो के गुजरने से गिट्टी उडने से राहगीर घायल होते है। मार्ग का सुधार कब होगा क्या सभी खातेदारों को नौकरी दी जायेगी। जिनकी जमीन का नामांतरण नहीं हो पाया है उनके लिये क्या प्रावधान है। असहाय भूस्वामी के आश्रित को नौकरी दी जायेगी या नहीं मूलभूत समस्याओं का ध्यान रखा जावे।
5. पर्यावरणीय आवश्यक कार्यों की जानकारी दी गयी है। कोल ब्लाक के खुलने से प्रभावितों का आर्थिक पर्यावरण नहीं बिगडना चाहिये। पहले मुआवजा का पूर्ण रूप से निराकरण/निर्धारण हो इसके बाद पर्यावरणीय लोकसुनवाई हो, नौकरी के लिये प्रभावितों को अनेक परेशानी होती है। कितने को तत्काल नौकरी दी जायेगी। किन्हे रोजगार गारंटी का पैंसा दिया जायेगा स्पष्ट करें।

6. मायापुर गांव की मांग इस प्रकार है– सीएमडीसी द्वारा मुआवजा वितरण से पूर्व 18 से 60 वर्ष के लोगों को नौकरी देना है, नौकरी और मुआवजा दोनो देना होगा, सीमांकन करना होगा, केन्द्रीय शासन के अनुसार वेतन देना होगा, परिवार के मुखिया के नाम पर जमीन होने पर सभी बालिगों को नौकरी देना होगा। आश्रितों के पुत्र/पुत्री को भी नौकरी देना होगा और अलग–अलग मुआवजा बताया है, जबकि एकरूपता होना चाहिए। बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। मायापुर के ग्रामीणों को फसल के आधार पर मुआवजा देना होगा।

7. मजदूरों के वेतन की जानकारी ग्रामपंचायत को दें, विभाग में कार्यरत ग्रामीणों को पेंशन की व्यवस्था होगी की नहीं जानकारी दें।

8. सीएमडीसी द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार 1650 लोगों को नौकरी दिया जाना बताया गया जो कि पुराने बी–1 के आधार पर जानकारी दी जा रही है तो चारों पंचायतों के आश्रितों का क्या होगा। एस.ई.सी.एल. द्वारा लोगों को, स्कूली बच्चों को दी जा रही सुविधा को बंद किया जा रहा है। महान–2 के 100 मीटर क्षेत्र में ही छिडकाव किया जा रहा है। जब एस.ई.सी.एल. द्वारा इस तरह कार्य कर रहा है तो सीएमडीसी क्या करेगा। आने वाले समय में किस प्रकार मूलभूत सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध करायी जायेगी। कोयला निकलने से जल स्तर गिरेगा, सभी को जानकारी दी जानी चाहिए। वर्तमान में उत्पादनरत् खदानों से लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है जो कि यहां से 02 से 25 किमी. दूर होने पर यहां के लोग प्रभावित हो रहे हैं तो सीएमडीसी कोयला खदान के कारण लोग प्रभावित नहीं होगें। पुर्नवास नीति स्पष्ट करें।

9. धरमपुर ग्राम की जमीन में सही नाम व नाम नहीं लिखा गया है। पुराने खाते बी–1 से मुआवजा दिया जा रहा है, जिसमें जांच कर सुधार किया जाये।

10. धरमपुर के समान अन्य ग्रामों में भी जमीन का सही सेटलमेंट नहीं हुआ है, जिसका सही–सही नामों को सुधार किया जाये जिससे लोगों का हक प्रभावित न हो सके, बाहरी लोगों सुविधा है तो यहां के लोगों के जमीनी हितों का ध्यान रखा जावे। छत्तीसगढ़ से बाहर के लोगों को बसाया जा रहा है, और यहां के लोगों को सुविधा विहीन किया जा रहा है।

11. ग्रामीणों की जमीन किसी की कम किसी की ज्यादा है जिसमें से किसी का नामांतरण नहीं हुआ है तो मुआवजा किस प्रकार देंगे।

12. ग्रामपंचायत कोटया को ग्रामसभा में दिये गये आश्वासन के अनुसार सभी खातेदार एवं वगैरह को नौकरी की पात्रता दिया जाना बताया गया था, जो आज देखने को मिल

रहा है कि आश्वासन के अनुरूप नौकरी नहीं दी जा रही है। पिछले ग्रामसभा के प्रस्ताव की समीक्षा कर बताया जाये कि जमीन पडत, असिंचित व सिंचित का एक समान मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि सभी जमीनों के नीचे कोयला है तो जमीनो का रेट अलग–अलग क्यों है, सभी जमीनों का एक सा मुआवजा और नौकरी दी जाये, कोई भेदभाव न किया जावे। एसडीएम प्रतापपुर से मुआवजा एवं नौकारी की सूची दिये जाने का अनुरोध किया गया जो कि अभी तक नहीं हुआ है, नौकरी का निर्धारण किस प्रकार होगा, जानकारी दी जाय। ग्रामपंचायत कोटया कि 68 कृषक प्रभावित हैं, जमीनो की खरीदी बिक्री बंद कर दिया गया है। अतः केवल प्रभावितों को ही प्रतिबंधित किया जाये।

13. सीएमडीसी अपने आश्वासनों पर कायम रहे, कम्पनी द्वारा सभी जगह का कोयला खोदा जाय लेकिन माता कुदरगढी के समीप खनन न करें, भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाये, लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जावे।
14. जल एवं वायु प्रदूषण कम करने की क्या योजनाएं है, क्या पक्की सड़क बनायेगे, वन क्षेत्र का नुकसान होगा, क्या योजनाए है। ओव्हर बर्डन की मिट्टी बहकर कृषि प्रभावित होगी इसके लिये क्या योजनाएं हैं बतायें।
15. वर्ष 2010 में मुआवजा राशि 06 लाख 08 लाख एवं 10 लाख बताया गया था, आज 2012 है और मुआवजा 2016 में मिलेगा तो हमारी जमीन की कीमत भी तो बढेगी तो मुआवजा बढाकर दिया जाना चाहिए। मुआवजा समानता होनी चाहिए, रेट बढना चाहिए। मुआवजा और नौकरी एक साथ एकमुश्त मिलना चाहिए और एक खते के आश्रितों को भी नौकरी मिलना चाहिए।
16. जिनकी जमीन प्रभावित हो रही है उनको किस प्रकार का मकान बनाकर दिया जायेगा स्पष्ट किया जावे।

श्री **पी.एस. यादव महाप्रबंधक (खान),** मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्राप्त सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों के सम्बंध में मौखिक रूप से जन समुदाय को अवगत कराया गया कि :–

1. पर्यावरण परामर्शदाता द्वारा पर्यावरण समघात आंकलन सम्बंधी जानकारी मातृभाषा हिन्दी में दी गई है तथा उपस्थित जनसमुदाय को सरल भाषा में लिखित रूप में भी उपलब्ध करायी गई है। परियोजना प्रभावितों को पेयजल की उपलब्धता कम्पनी द्वारा करायी जायेगी। कोल डस्ट को उड़ने से रोकने के लिये विभिन्न स्त्रोतों जैसे–हॉलरोड,

परिवहन मार्गों, कोल स्टाक यार्ड, कांटाघर क्षेत्रों में मोबाईल/फिक्स्ड स्प्रिंकलर के माध्यम से जल छिड़काव किया जावेगा। भू–अर्जन की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुमोदित प्लान अनुसार किया जावेगा। वन भूमि के विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। परियोजना के दौरान 1,20,712 नग वृक्ष काटे जायेंगे जिसकी भरपाई चरणबद्धरूप में परियोजना के अंत तक लगभग 51 लाख वृक्ष लगाये जावेंगे। ब्लास्टिंग डी.जी.एम. एस. के मापदण्डों के अनुरूप ही किया जावेगा। परियोजना प्रभावितों के पुर्नवास/विस्थापन एवं नौकरी के लिये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना का पालन किया जावेगा।

2. पर्यावरण परामर्शदाता द्वारा पर्यावरण समघात आंकलन सम्बंधी जानकारी मातृभाषा हिन्दी में दी गई है तथा उपस्थित जनसमुदाय को सरल भाषा में लिखित रूप में भी उपलब्ध करायी गई है। कम्पनी द्वारा परियोजना प्रभावितों के लिये ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जावेगा एवं कोल डस्ट से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु मोबाईल/फिक्स्ड स्प्रिंकलर के माध्यम से जल छिड़काव की व्यवस्था की जावेगी।

3. खदान खुलने पर प्रभावितों को योग्यता एवं प्राथमिकता के आधार पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया जावेगा इसके लिये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजनानुसार रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा। परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में मांग के अनुरूप निर्माण कार्यो एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूति हेतु सामुदायिक विकास मद के तहत् कार्य कराये जायेंगे। जल संरक्षण हेतु अप्रभावित प्राकृतिक जल स्त्रोतों को उपचारित माईन वाटर से परिपूर्ण किया जावेगा। वायु प्रदूषण को रोकने हेतु जल छिडकाव एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेंतु मशीनो के लुब्रीकेटिंग की व्यवस्था की जावेगी। वनो के संरक्षण हेतु चरणबद्धरूप में परियोजना के अंत तक लगभग 51 लाख वृक्ष लगाये जावेंगे।

4. यह प्रश्न एस.ई.सी.एल. से संबंधित होने से इस पर कोई भी उत्तर कम्पनी द्वारा नही दिया गया। परियेाजना प्रभावितों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु छ0ग0 शासन की आदर्श पुनर्वास नीति का पालन किया जावेगा।

5. कोल ब्लाक के खुलने से निश्चित ही क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, प्रभावितों को रोजगार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के अनुसार दी जावेगी। मुआवजे की राशि का वितरण जिला प्रशासन के माध्यम से भूमि स्वामी को किया जावेगा।

परियोजना प्रभावितों को योग्यता एवं प्राथमिकता के आधार पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया जावेगा। आबांटित कोल ब्लाक का सीमांकन करा लिया गया है। सीएमडीसी, छत्तीसगढ़ शासन का सार्वजनिक उपक्रम है अतः वेतन कम्पनी के प्रावधानो अनुसार दिया जावेगा। परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूति हेतु सामुदायिक विकास मद के तहत् कार्य कराये जायेंगे। माईन्स परिसर में डिस्पेंसरी स्थापित की जावेगी।

7. नियोजित श्रमिकों को वेतन/पेंशन कम्पनी के प्रावधान अनुसार दिया जावेगा।

8. परियोजना प्रभावितों को योग्यता एवं प्राथमिकता के आधार पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया जावेगा। एस.ई.सी.एल. की महान–2 सम्बंधित गतिविधियां कम्पनी के अधिकार क्षेत्र से सम्बंधित नहीं है। जल संरक्षण हेतु अप्रभावित प्राकृतिक जल स्त्रोतों को उपचारित माईन वाटर से परिपूर्ण किया जावेगा। प्रभावितो एवं कम्पनी में कार्यरत् कर्मचारियों के लिये नियमित स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जावेगा तथा माईन परिसर में डिस्पेंसरी स्थापित की जावेगी।

9. सीएमडीसी के कार्यक्षेत्र से सम्बंधित नहीं है।

10. जमीन सम्बंधी प्रकरण सीएमडीसी के कार्यक्षेत्र से सम्बंधित नहीं है। कम्पनी द्वारा स्थानीय परियोजना प्रभावितों को योग्यता एवं प्राथमिकता के आधार पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया जावेगा।

11. जमीन सम्बंधी प्रकरण सीएमडीसी के कार्यक्षेत्र से सम्बंधित नहीं है। मुआवजा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुमोदित आदर्श पुर्नवास एवं विस्थापन येाजना के अनुसार किया जावेगा।

12. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुमोदित आदर्श पुर्नवास एवं विस्थापन नीति का पालन करते हुए कम्पनी परियोजना प्रभावितों के लिये रोजगार एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। ग्राम कोटेया में जमीनो की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध शिथिल करना शासन के अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत है। इस हेतु सीएमडीसी द्वारा कलेक्टर, सुरजपूर को अनुरोध किया जावेगा।

13. सीएमडीसी अपने आश्वसनो के अनुरूप कार्यों को मूर्तरूप देगी। कुदरगढी माता मंदिर क्षेत्र का सर्वे कर खनन न करने पर विचार करेगा। प्रस्ताव प्राप्त होने पर कम्पनी परियोजना प्रभावितों के लिये मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।

14. सीएमडीसी स्वीकृत माईन प्लान के अनुसार खनन कार्य एवं क्षेत्र की अधोसंरचना का विकास करेगी तथा प्रभावी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना करेगी।

15. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुमोदित आदर्श पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के तहत् मुआवजे का वितरण एवं नौकरी प्रदान की जावेगी तथा भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ब्याज राशि का भुगतान किया जावेगा।

16. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के तहत् आवास सुविधा प्रदान की जावेगी।

आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई ।

लोक सुनवाई के दौरान लिखित में प्राप्त कुल **06** सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां, लोक सुनवाई के दौरान **16** व्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों का अभिलिखित पत्रक, लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का उपस्थिति पत्रक, वीडियो फिल्म (असम्पादित सी.डी.) एवं फोटोग्राफ्स संलग्न कर लोक सुनवाई कार्यवाही का विवरण सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

20.1.12

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
अंबिकापुर

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

अपर कलेक्टर
सूरजपुर, जिला-सूरजपुर